इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 सितम्बर 2013—भाद्र 19, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. एफ-22-41-2011-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-41-2011-आठ, दिनांक 21 जनवरी 2013 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 21 जनवरी 2013, को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के सामने कॉलम (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
	194(1)	"न्यूनतम रुपये 500/- प्रथम टन या उसके भाग के लिए. तत्पश्चात् रुपये 1000/- प्रति टन या उसके भाग के लिए आधिक्य भार हेतु. आधिक्य भार को खाली करने हेतु न्यूनतम रुपये 100/- प्रतिटन या उसके भाग के लिए अथवा वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो".

No. F-22-41-2011-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby makes the following amendment in this department's

Notification No-F-22-41-2011-VIII, Dated 21-01-2013, which was published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary)" dated 21-01-2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, against Section 194(1) of the Motor Vehicles Act, 1988, in column (3), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
	194(1)	"Minimum Rs. 500/- for first tonne or part thereof. Thereafter Rs. 1000/- per tonne or part thereof for excess load. For unloading excess lond. Minimum Rs. 100/- per tonne or part thereof or actual expenses whichever is higher".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.